दूरभाष : P.B.X. 762021, 22, 24, 763323

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut.

पत्रांक सम्बद्धता/स्ववित/440

दिनांक 9.2.2000

सचिव
आई०पी० कालेज,
बुलन्दशहर ।
=========

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्र सं० ई-10642/जी०एस० दि० 14.12.99 के माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य वि०वि० अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन बी०सी०एस० (3 वर्षीय) पाठ्यक्रम में दि० 1.7.2000 से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की है ।

1. संस्था छात्रों के प्रवेश सत्र 2000-2001 से ही करेगी। यदि इससे पूर्व छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी तथा संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
2. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि विद्यार्थियों के प्रवेश लिये जाने के पूर्व संस्था द्वारा अवस्थापना के संबंध में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति कर ली गई है।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से संबंधित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
4. विश्वविद्यालय अस्थाई सम्बद्धता की अवधि एवं सत्र के संबंध में समान्य जनता की सूचना हेतु मुख्य समाचार पत्रों में भी उपरोक्त सूचना का प्रकाशन करायेगी ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो ।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा कि महाविद्यालय में वर्तमान सत्र 1999-2000 में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लिया गया है ।
6. उक्त अस्थाई सम्बद्धता वित्त विहीन आधार पर (स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत नहीं) प्रदान की गई है ।

उपर्युक्त स्वीकृति/अनुमति के संदर्भ में कुलपति महोदया के आदेशानुसार आपके संस्थान में बी०सी०एस० (3 वर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2000-2001 से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एक सैक्शन (60 सीट) में कक्षायें आरम्भ करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1- उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश वि०वि० द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेंगे ।
2- उक्त पाठ्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था वि०वि० द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही की जायेगी ।

भवदीय,
(signature) 9/2
(एम० एल० बत्रा)
उपकुलसचिव मान्यता
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि:- प्रभारी कोटी अनुभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

(signature)
(एम० एल० बत्रा)
उपकुलसचिव मान्यता
कृते कुलसचिव

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः- सम्बद्धता//1095

दिनांकः- 28.08.2003

प्राचार्य,
आई0पी0 (पी0जी0) कालिज,
बुलन्दशहर।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 1694//जी0एस0 दिनांक 11 अगस्त, 2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन आई0पी0 कालिज, बुलन्दशहर को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई,2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देश एंव समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एंव अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2003 से उपरोक्त शर्तो के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेगें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1047
दिनांक : 7 जुलाई, 2008

सेवा में,

प्राचार्य,
ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय,
बुलन्दशहर

विषय :— बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में तीन अतिरिक्त सैक्शन की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जोकि **ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय, बुलन्दशहर** को **बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम में **दिनांक 01.07.2008 से तीन अतिरिक्त सैक्शन की सम्बद्धता** के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि शासन ने अपने पत्रांक संख्या—3007/सत्तर—2— 2007—2(58)/2006, दिनांक 10.08.2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि अतिरिक्त सैक्शन के लिए शासन स्तर से अनुमति अपेक्षित नही है। याचित पाठ्यक्रम में मानकानुसार समस्त अवस्थापना सुविधायें पूर्ण होने पर एवं सतुंष्ट होने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। उक्त के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/966, दिनांक 02.07.2008 के द्वारा एक निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया था। निरीक्षण मण्डल में दिनांक 05.07.2008 को संस्थान का निरीक्षण कर, निरीक्षणोपरान्त पाया कि :—

01. ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय वर्ष 1970 से संचालित है।
02. महाविद्यालय की संचालक सोसाइटी का पंजीकरण अध्याविधिक विधिमान्य है जिसका नवीनीकरण संख्या—541—2005 फाईल संख्या—I-20015 द्वारा दिनांक 10.10.2005 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए किया गया है।
03. महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2160, दिनांक 29.10.2005 द्वारा अनुमोदित है।
04. महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक AF-57/751 दिनांक 06.04.1971 द्वारा धारा—2(एफ) एवं 12(बी) में पंजीकृत है।
05. महाविद्यालय में 01/07/2000 से बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम एक सैक्शन की स्थायी सम्बद्धता के साथ संचालित है। मानकानुसार बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत राशि की धनराशि 3,00,000/— की एक एफ0डी0आर0 नं0 337688 बैंक ऑफ इण्डिया, बुलन्दशहर द्वारा जमा है, कुलसचिव के नाम बंधक है।
06. सत्र 2008—2009 में प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए 516 पंजीकरण हुए है। सत्र 2006—2007 में प्रवेश के लिए 328 पंजीकरण हुए तथा विश्वविद्यालय से एक अतिरिक्त सेक्शन की अनुमति मिलने पर दो सैक्शन के प्रवेश किये गये।

    सत्र 2007—2008 में 716 पंजीकरण हुए तथा विश्वविद्यालय से तीन अतिरिक्त सैक्शन की अनुमति मिलने पर 272 प्रवेश किये गये थे।
07. पुस्तकालय में सम्बन्धित बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के लिए रूपये 14,25,000/— की 6695 पुस्तकें उपलब्ध है।
08. महाविद्यालय 8090 वर्गमीटर भूमि में स्थित है जो नगरपालिका बुलन्दशहर की सीमा में आता है। बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के तीन अतिरिक्त सैक्शनों के संचालन हेतु भवन की समुचित व्यवस्था है तथा पर्याप्त मात्रा में शिक्षण कक्ष तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के पास 24730 वर्गमीटर भूमि ग्राम दरियापुर, बुलन्दशहर में है जिसमें महाविद्यालय के परिसर द्वितीय का निर्माण प्रगति पर है।

क्रमांक................2

D:\Copy (259)

09. शिक्षण कार्य अर्हं एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों से कराया जा रहा है।

10. दिनांक 05.07.2008 को महाविद्यालय के खाता संख्या–7570 में रूपये 24,84,872/– जमा दिखाये गये है जो बैंक ऑफ इण्डिया, बुलन्दशहर की शाखा में है।

" निरीक्षण के समय प्रबन्धतंत्र के द्वारा दिखाये गये भूमि, भवन, संसाधन एवं पत्राजातों के आलोक में निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्य सम्यक विचारोपरान्त ईश्वरदयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय, बुलन्दशहर को स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत सत्र 2008–2009 से बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में 516 पंजीकरण होने के कारण एक स्वीकृत सैक्शन के अतिरिक्त तीन सैक्शन दिये जाने की संस्तुति करते है। "

अतः कुलपति जी के आदेश एवं शासनादेश दिनांक 10.08.2007 के आलोक में संस्थान को **बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में तीन अतिरिक्त सैक्शन में दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि संस्थान समय–समय पर शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा अन्यथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में शासन को अवगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

भवदीय,

ह0/– कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

D:\Copy (260)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/679
दिनांक : 28/5/2010

सेवा में,

प्राचार्य,
आई0पी0 (पी0जी0) कालेज,
बुलन्दशहर

विषय :—बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में क्रमशः दो एवं एक अतिरिक्त सैक्शनों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रस्ताव जोकि **आई0पी0 (पी0जी0) कालेज, बुलन्दशहर** के **बी0बी0ए0 एवं** बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में **सत्र 2010—2011 से क्रमशः दो एवं एक अतिरिक्त सैक्शन** की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर **बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में क्रमशः दो एवं एक अतिरिक्त सैक्शन** में **सत्र 2010—2011 से सम्बद्धता** की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश शैक्षिक सत्र 2010—2011 से करेंगे एवं समय—समय पर निर्गत शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे अन्यथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में शासन को अवगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस अनुमति उपरान्त महाविद्यालय के पास बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कुल 240 सीटों एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में कुल 300 सीटों की प्रवेश क्षमता होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

D:\Evening (827)